तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
०३/०१/२४	पत्रावली आज पेश हुई। वकील याचीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोई समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बाद बुलाए आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील याचीगण के पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 156/2023

प्रार्थीगण :–

1. गणपत पुत्र कालूराम
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम
3. दिनेश कुमार पुत्र कालूराम
4. प्रकाश कुमार पुत्र कालूराम
5. सरस्वती पुत्री कालूराम
6. ढेलीदेवी पत्नी कालूराम
   जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आईदानसिंह पुत्र तगसिंह
2. घूखसिंह पुत्र तगसिंह
3. भीखीकंवर पत्नी तगसिंह
   कौम राजपूत साकिन आलपुरा तहसील गुडामालानी
4. किशन कुमार पुत्र छोगाराम
5. बलदेव पुत्र छोगाराम
   कौम कुम्हार निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
6. हेमाराम पुत्र सवाराम कौम पुरोहित निवासी आलपुरा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थीगण –एकतरफा**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 09.01.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/5 रकबा 1.2221 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/5 रकबा 1.2221 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, गुडामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 9/1/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी